न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 50 / 2021(2021 / 225)

1. छीतरमल पुत्र श्री धन्नालाल जाति तेली निवासी कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री शिवप्रसाद पाराशर

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2069–72** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
718–614	298 299	2.02 0.49	बारानी 2 बारानी 2
	कुल किता 2	रकबा 2.51हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड मे प्राथी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर बैरोक ठोक चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का वर्णित आराजी के प्रार्थी के हिस्से मे हक अधिकार हिस्सा नही है और ना ही हो सकता है प्रार्थी द्वारा कई मरतबा निवेदन करने पर जब अन्य खातेदारान द्वारा प्रार्थी की आराजी व खुद कि आराजी का सीमा ज्ञान नही करवाया तब प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सीमा ज्ञान हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर आज दिनांक तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नही हुई। प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी के चारो तरफ दीवार बनाना चाहता है। जिससे फसल की रखवाली व जानवारो से बचाव हो सके तथा अन्य खातेदारान व प्रार्थी के मध्य सीमा का विवाद नही हो इसलिए यह वाद पत्र वास्ते स्थाई पत्थरगढ़ी हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजी का बार बार निवेदन करने के पश्चात भी संतोषप्रद कार्यवाही सीमा ज्ञान नही होने के कारण अन्य खातेदारान की नियतबद्व है तथा वे नाजायज व अनाधिकृत तरीके से प्रार्थी की आराजी की तरफ बढकर आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की आराजी की स्थाई पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रथम बार दिनांक 25.06.2021 को उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार महोदय केकड़ी को सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने न्यायालय से आदेश की लाने की बात कह कर वाद वर्णित आराजी का सीमाज्ञान नही किया तब उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके कस्वा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 718–614 के खसरा नंबर 298 व 299 के रकबा 2.02 व 0.49हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]
(तालुका विधिक सेवा समिति)
के[illegible] [illegible]जमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner